

9
11/10/21

प्रशासन 2021
कैम्प ग्राम पंचायत 11/10/21

Form No-|||

अज्ञ अदालत
उपखण्ड अधिकारी
फर्द अहकाम (नियम 26)
मुकाम रायसिंहनगर
बनाम सरकार
नाबर 60 सन् 2021

किरम मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुदम	हुदम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुदम की तामील में जारी किए
11/10/21	<p>तहसीलदार भूअ./नायब तहसीलदार <u>रजनीशकुमार</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भूअ./प्र.गा.सं.अ./2021/64 दिनांक 11/10/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के सग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>बानुगरी</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>9.8600</u> की जमाबंदी सम्मत <u>2025-2028</u> के खाता सं. <u>39</u> में <u>सुमित्रा देवी</u> <u>पति वाराचन्द प्रसिद्ध बग्गेज डबे डे</u> के स्थान पर <u>सुमित्रा देवी पति वाराचन्द प्रसिद्ध</u> <u>बग्गेज सा-61 P व जीकान्ना</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>रजनीशकुमार</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>9.8600</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्मत <u>2025-2028</u> के खाता सं. <u>39</u> में <u>सुमित्रा देवी</u> <u>पति वाराचन्द प्रसिद्ध बग्गेज डबे डे</u> के स्थान पर <u>सुमित्रा देवी पति वाराचन्द प्रसिद्ध</u> <u>सा-61 P व जीकान्ना</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बर्दस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
11/10/21

